मॉड्यूल 3: विशेष किशोर पुलिस इकाई

सत्र 3: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित प्रक्रिया

अवधिः 1:32 मिनट

मॉड्यूल 3: विशेष किशोर पुलिस इकाई

सत्र 3: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित प्रक्रिया

इस तीसरे सत्र में आप कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को विस्तार में जानेंगे। इस सत्र के अन्त तक आप निम्नलिखित बातें बता पाने में सक्षम होंगेः–

- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे (सीसीएल) कौन है?
- क्या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे (सीसीएल) को देखरेख एवं संरक्षण के ज़रूरतमंद (सीएनसीपी) माना जा सकता है?
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे (सीसीएल) के संबंध में प्रक्रिया
- बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में प्रक्रिया
- हर पुलिस स्टेशन और एसजेपीयू में अनिवार्य सूचना
- बाल अनुकूल प्रक्रियाएं एवं सिद्धांत जो बच्चों से संबंधित किसी भी कार्यवाही को निदेशित करते हैं
- बाल–मित्र पुलिस स्टेशनों को प्रमाणित करने के लिए कदम

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में पुलिस की भूमिका पर चर्चा करने से पहले आईए एक बार दोहरा लें कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे कौन हैं।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2 (13) के अनुसार "कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा" का अर्थ है एक ऐसा बच्चा जो कानून का उल्लंघन करने का आरोपित है या जिसने अपराध किया है और वारदात के दिन जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी नहीं हुई हो।